

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारी:- जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या:- 28/2018/अपील

फूलचन्द आयु 40 वर्ष पुत्र श्री मदनलाल जाति जाट निवासी रानीपुरा तहसील खण्डेला
जिला सीकर

अपीलान्त

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 07.03.2018 न्यायालय तहसीलदार
खण्डेला मु.न. 307/2018 प्रकरण अनुवानी सरकार बनाम
फूलचन्द

वकील अपीलान्त श्री लक्ष्मणसिंह सुण्डा

निर्णय

दिनांक:-08.06.2018

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कासरडा ने अधिनस्थ तहसीलदार महोदय, खण्डेला के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि भूमि खसरा नम्बर 523 तन ग्राम कासरडा किस्म गै0मु0 चारागाह में 0.32 हैक्टर रकबे से अपीलान्त को पूर्व में बेदखली व फसल निलामी के पश्चात पुनः काश्त कर व मकान व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण कर लिया जिस पर अधिनस्थ तहसीलदार महोदय द्वारा अपीलान्त को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलान्त दिनांक 07.03.2018 को अधिनस्थ तहसीलदार महोदय खण्डेला के समक्ष उपस्थित हुआ और अपीलान्त ने लिखित में अपना जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलान्त ने भूमि खसरा नम्बर 523 में कोई अतिक्रमण नहीं किया है और अपीलान्त ने अपनी खातेदारी भूमि में फसल काश्त की है सही सीमाज्ञान करवा लिया जावे, तथा अपीलान्त ने यह भी कथन किया कि अपीलान्त की खातेदारी भूमि के बाहर उसका कोई कब्जा नहीं है अगर ऐसा हो तो उसे हटा दिया जावे उसे कोई आपत्ति नहीं है। उक्त जवाब प्रस्तुत होने के बाद सर्वथा गलत व अवैध रूप से अधिनस्थ तहसीलदार महोदय ने बिना मौके की नपती व सीमाज्ञान किए बिना ही प्रार्थी अपीलान्त को धारा 91(2) के तहत तीन माह के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित करने व खसरा नम्बर 523 के 0.32 हैक्टर से बेदखल करने व 28.50 रूपया शास्ति आरोपित करने की व अपीलान्त के नाम गिरफ्तारी वारन्ट जारी करने का आदेश जारी कर दिया। पटवारी हल्का कासरडा ने अपीलान्त के विरुद्ध भूमि खसरा नम्बर 523 के 0.32 हैक्टर वाके ग्राम कासरडा पर पूर्व में बेदखली व फसल निलामी के पश्चात पुनः अतिक्रमण के बाबत सर्वथा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जबकि अपीलान्त का भूमि खसरा नम्बर 523 पर न तो कोई अतिक्रमण है और न ही अपीलान्त ने भूमि खसरा नम्बर 523 में कोई फसल ही काश्त की व न ही मकान व बाड़ा बनाये है। अपीलान्त ने अधिनस्थ तहसीलदार महोदय खण्डेला के समक्ष उपस्थित होकर लिखित में दिनांक 07.03.2018 को

मान लिये गये हैं वह न तो अपीलान्त की उपस्थिति में लिये गये और न अपीलान्त को उक्त पटवारी हल्का से जिरह करने का कोई अवसर ही दिया गया है और उक्त बयान कानूनन साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य न होते भी योग्य अधिनस्थ तहसीलदार महोदय ने पटवारी हल्का के बयानों पर विश्वास करके अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर उसे दण्डित करने में कानूनी गलती की है। पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट अपीलान्त के विरुद्ध गेहूँ व जौ की फसल काश्त करने के बारे में की गई है वह अपीलान्त की खातेदारी की भूमि में होते हुये भी पटवारी हल्का बिना चारागाह भूमि खसरा नम्बर 523 का सीमाज्ञान किए ही बिल्कुल गलत की है जबकि अपीलान्त ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने जवाब में यह उल्लेख किया है कि भूमि खसरा नम्बर 523 के किसी भी भाग पर कोई अतिक्रमण नहीं है और ऐसी स्थिति में अधिनस्थ तहसीलदार महोदय को अपीलान्त के खातेदारी की भूमि की नपती व सीमा ज्ञान करवाना आवश्यक होते हुये भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर अपना निर्णय दिनांक 07.03.2018 पारित कर दिया गया, जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.03.2018 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया व विद्वान अधिवक्ता अपीलान्त को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्त ने शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्त का वाके ग्राम कासरड़ा की भूमि खसरा नम्बर 523 पर कोई अतिक्रमण नहीं है व भूमि की नपती की जाकर मेरा अतिक्रमण हटा दिया गया है एवं भविष्य में उक्त भूमि के किसी भी भू-भाग पर अतिक्रमण नहीं करूंगा। अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र से सहमत होने पर अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त आदेश अनुवानी सरकार बनाम फुलचन्द दिनांक 07.03.2018 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार खण्डेला को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि ग्राम कासरड़ा के खसरा नम्बर 523 का निरीक्षण स्वयं कर सुनिश्चित करलें कि कोई अतिक्रमण शेष न हों।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



8/6/18
अति० (जय प्रकाश) सीकर
अति० जिला कलेक्टर, सीकर